बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 86

सफल होगी उड़ान ?

जानकारी के मुताबिक सरकार ने एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री की योजना को नए सिरे से अंजाम देने का मन बनाया है। उसने एयर इंडिया प्रबंधन से कहा है कि वह जून के अंत तक वर्ष 2018-19 के लिए विमानन कंपनी तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय खातों की जानकारी मुहैया कराए।

अनुमान लगाया जा रहा है कि एक महीने के भीतर अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यह उत्साहवर्धक खबर है क्योंकि एयर इंडिया की बिक्री का मामला लंबे समय से लंबित है और विभिन्न सरकारें इसे अंजाम नहीं दे पाईं। यही कारण है कि कंपनी करदाताओं पर बोझ बनी हुई है।

उदाहरण के लिए 2015-16 से 2017-18 के बीच कंपनी का राजस्व 20,526 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,146 करोड़ रुपये हो गया लेकिन इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध घाटा भी 3,837 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,765 करोड़ रुपये हो गया।

राजग सरकार गत वित्त वर्ष में एयर इंडिया के लिए सौदा तलाशने में नाकाम रही क्योंकि किसी ने भी इस सरकारी विमानन सेवा में हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा नहीं दिखाई। उदाहरण के लिए सरकार ने गत वर्ष कंपनी के 74 फीसदी शेयर बेचने की पेशकश की थी। इससे संभावित खरीदारों के मन में आशंका उत्पन्न हो गई क्योंकि वे सरकार के साझेदार के रूप में कारोबार नहीं करना चाहते थे। गत वर्ष जारी अभिरुचि शर्तों में कई अन्य विवादास्पद प्रावधान थे। उदाहरण के लिए भारतीय विमानन सेवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये की नेटवर्थ का मानक भी सही नहीं था क्योंकि केवल इंडिगो एयरलाइंस ही इस मानक को पूरा कर पा रही थी। इतना ही नहीं अगर किसी समूह द्वारा बोली लगती, भारतीय कंपनियां नेटवर्थ मानक पूरा नहीं करतीं और कर बाद मुनाफे का मानक 51 फीसदी हिस्सेदारी तक सीमित होता तो केवल 38 फीसदी हिस्सेदारी ही बचती। शर्तों में यह भी कहा गया था कि अंशधारिता का रुख अभिरुचि के स्तर पर ही स्थिर रहेगा और बोली हासिल करने वाले को एयर इंडिया ब्रांड पर अधिकार मिलेगा और वह उसे एक अलग विमानन सेवा के रूप में संचालित कर सकेगा।

अतीत के अनुभवों से तंग सरकार अब शायद पुरानी गलतियां दोहराना नहीं चाहती है। उदाहरण के लिए 76 फीसदी शेयर के स्थान पर इस बार सरकार 95 फीसदी शेयर बेचना चाहती है। वह कर्मचारी शेयर विकल्प के तौर पर केवल 5 फीसदी शेयर अपने पास रखना चाहती है। गत वर्ष कंपनी के बहीखातों का भारी भरकम कर्ज भी अवरोधक बनकर सामने आया था। यहां भी सरकार संशोधन करने को प्रतिबद्ध नजर आ रही है। उसने पहले ही एयर इंडिया की 29,464 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण एक नई कंपनी को स्थानांतरित करने की बात कही है।

सरकार को उम्मीद है कि यह राशि विमानन कंपनी की कुछ मुनाफे में चल रही अनुषंगी कंपनियों की बिक्री से चुकाई जा सकेगी। ऐसे में कंपनी पर 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज रह जाएगा। इससे चुकता किए जाने वाले ब्याज में भारी कमी आएगी और यह राशि सालाना 1,700 करोड़ रुपये रह जाएगी। यह एक ऐसी विमानन कंपनी के लिए कर्ज का व्यवहार्य स्तर है जो जेट एयरवेज के बंद होने के बाद अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बाजार में दबदबा रखती है। चूंकि 163 विमानों में आधे से अधिक पर कंपनी का मालिकाना हक है। मालिक बनने वाली नई कंपनी इनका भी पूरा लाभ उठा सकती है। लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत ने सरकार को यह अवसर प्रदान किया है कि वह इस बार अपनी बात पर अमल कर दिखाए।

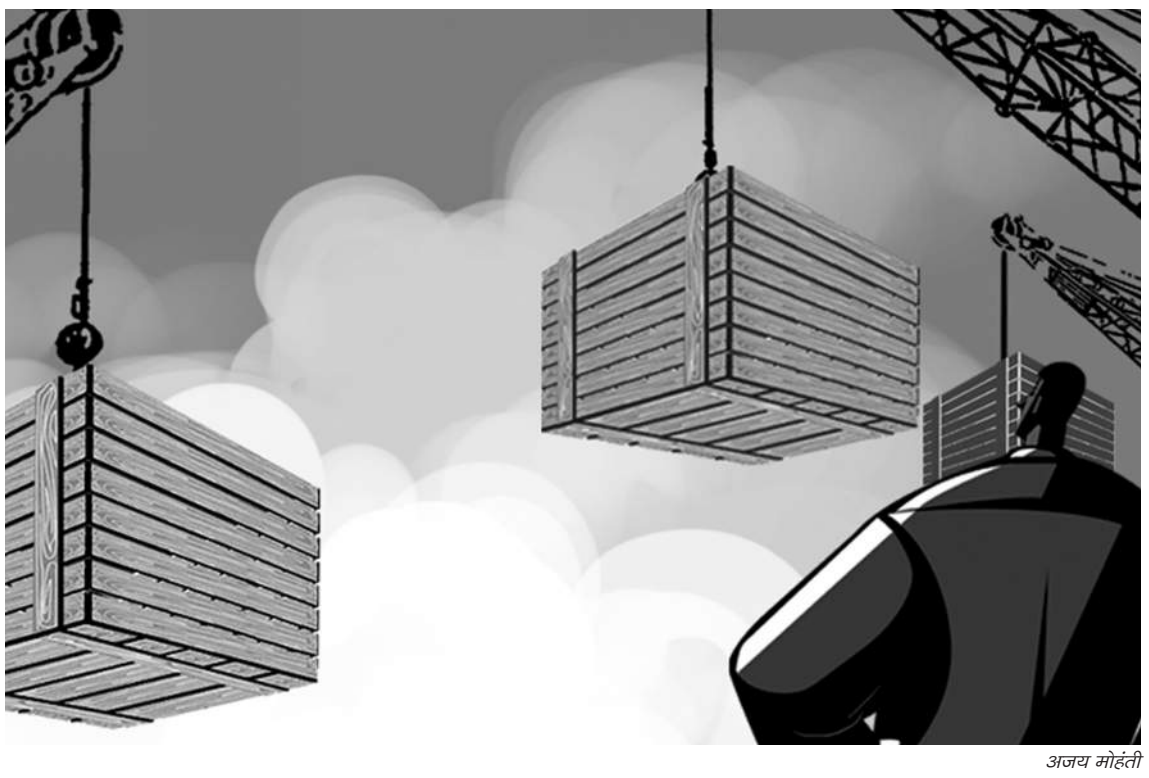

अजय मोहंती

भारत की व्यापार नीति पर पुनर्विचार का समय

हमें उभरते क्षेत्रीय व्यापार गठजोड़ों से जुड़ाव के महत्त्व को समझना होगा। इसके साथ ही प्राथमिकता आधारित व्यापारिक प्रणाली की उपयोगिता भी समझनी होगी। विस्तार से बता रही हैं **अमिता बत्रा**

मई के आरंभ में अमेरिका द्वारा 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने से वैश्विक व्यापारिक तनाव बढ़ा। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका से आने वाले 600 करोड़ डॉलर मूल्य के सामान पर आयात शुल्क 5 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की। इन बातों का बुरा असर केवल अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय रिश्ते पर ही नहीं बल्कि वैश्विक वृद्धि पर भी पड़ेगा। विश्व व्यापार संगठन ने गत माह अपने संशोधित अनुमान में पहले ही 2019 की वैश्विक वृद्धि के अनुमान को पहले के 3.7 फीसदी से कम करके 2.6 फीसदी कर दिया था। भारत की बात करें तो अमेरिका द्वारा जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) के खात्मे के बाद ईरान से तेल आयात प्रतिबंध से मिली छूट समाप्त हो जाएगी। नई व्यवस्था जून से लागू हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में भारत आए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने भारत के संरक्षणवादी कदमों की तीखी आलोचना की थी। इन बातों से भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय आर्थिक रिश्ते और व्यापारिक कूटनीति काफी हद तक प्रभावित हो सकते हैं।

वस्तु व्यापार घाटा 2018-19 में 17,600 करोड़ डॉलर रहा। 33,100 करोड़ डॉलर का निर्यात 2013-14 के बाद सबसे अधिक है, फिर भी यह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय लक्ष्य से काफी कम रहा। भारत को अपनी वाणिज्य नीति पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय का नवगठित कार्य समूह पारंपरिक क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है लेकिन इन चुनौतीपूर्ण हालात में वैश्विक मूल्य श्रृंखला आधारित व्यापार की कहीं अधिक गहन समझ आवश्यक है। हालिया दिनों में प्राथमिकता वाले कारोबारी समझौते इसका उदाहरण बनकर उभरे हैं। भारत को उभरते क्षेत्रीय कारोबारी समझौतों की अहमियत समझनी होगी।

देश का निर्यात कम कौशल और श्रम आधारित क्षेत्रों पर आधारित है। रत्न एवं आभूषण, कपास, वस्त्र एवं जूते चप्पल आदि कुल मिलाकर बीते डेढ़ दशक में देश के निर्यात का 25 से 35 फीसदी रहे हैं। ऑफिस मशीनरी क्षेत्र का 40 फीसदी निर्यात अन्य देशों में चला गया जबकि यह बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है। बिजली उपकरणों और मशीनरी क्षेत्र का देश के निर्यात में बमुश्किल 4-5 फीसदी ही योगदान है। यह बताता है कि वैश्विक मूल्यवर्धन श्रृंखला में हमारा योगदान कितना कम रहा है। भारत केवल कपड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हालांकि इस क्षेत्र के मूल्यवर्धन में भी बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देश मौजूद हैं। इस क्षेत्र में भी समय के साथ-साथ भारत का निर्यात घटा है और यह 2000-2012 के 5 फीसदी से घटकर 2017 में 4 फीसदी हो गया है। इसी अवधि में बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी 4.5 फीसदी से बढ़कर 8.1 फीसदी हो गई। वैश्विक कपड़ा एवं वस्त्र निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 37 फीसदी है। देश के अन्य प्रमुख निर्यात क्षेत्रों की बात करें तो इनमें चमड़े की वस्तुएं, रसायन और वाहन आदि में कम पुनर्स्थापन देखने को मिला है। कुल मिलाकर हमारा निर्यात वैश्विक मूल्य वृद्धि आधारित कारोबार के तर्ज पर विकसित नहीं हुआ है।

फिलहाल वैश्विक मूल्यवृद्धि श्रृंखला में बदलाव आ रहा है और घरेलू सामग्री बढ़ रही है और क्षेत्रीय समावेशन मजबूत हो रहा है। खासतौर पर पूर्वी एशिया में और वाहन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में। पूर्वी एशिया वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है जो चीन के इर्दगिर्द केंद्रित है। यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका ऐसे अन्य प्रमुख केंद्र थे। यूरोपीय संघ में व्यापार और वृद्धि को अभी भी वित्तीय संकट के पहले जैसी स्थिति में आने में समय लगेगा। वहीं अमेरिका व्यापारिक विवादों में उलझा है। ऐसे में पूर्वी एशिया ही सबसे मजबूत विनिर्माण केंद्र बचा। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्वी एशिया के साथ बेहतर एकीकरण वाली कारोबारी नीति पर ध्यान केंद्रित करे। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) भारत को यह अवसर देता है।

दुर्भाग्य की बात है कि आरसीईपी को लेकर भारत का नजरिया इस समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटे तक सीमित है। प्राथमिकता वाली व्यवस्था के तहत चीन की वस्तुओं की बाढ़ न आ जाए, इस डर से आरसीईपी को लेकर भारत का रुख रक्षात्मक है और वह गैर एफटीए साझेदारी वाले देशों मसलन चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कम स्तर वाले प्राथमिकता बाजार में पहुंच हासिल कर सके। आरसीईपी का तात्पर्य केवल चीन के साथ व्यापार नहीं है। चीन दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देशों का बड़ा कारोबारी साझेदार है। ऐसे में चीन की वस्तुएं किसी न किसी तरह भारत में अपनी पहुंच बना ही लेंगी। इसे एक बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते के रूप में देखा जाना चाहिए।

एकपक्षीय खुलेपन के अलावा बीते दो दशक की तमाम व्यापार उदारीकरण योजनाएं क्षेत्रीय स्तर पर ही रहीं। वर्ष 2017 तक करीब आधी दुनिया के कारोबार किसी न किसी तरह प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते के तहत हो रहे थे। भारत की व्यापारिक नीति को एक वक्त बहुपक्षीय ढंग से निपटाया जा सकता था लेकिन आज जबकि विश्व व्यापार संगठन प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है, बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते कारोबार का अहम कारक बन चुके हैं। दुनिया के तमाम बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापक सदस्यता के साथ ये व्यापारिक समझौते किफायती सीमापार व्यापार को संभव बनाते हैं। आरसीईपी एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐसा इकलौता क्षेत्रीय व्यापार समझौता है जिसमें चीन और भारत दोनों सदस्य हैं।

अन्य सदस्य देश या तो व्यापक प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी (सीपीटीपीपी) के सदस्य हैं जैसे कि मलेशिया, ब्रुनेई, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या फिर सदस्यता की इच्छा दर्शा चुके हैं जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया। भारत और चीन सीपीटीपीपी के सदस्य नहीं हैं। इन दोनों समझौतों की बात करें तो आरसीईपी एक छोटा क्षेत्रीय व्यापार समझौता है जिसे अभी वस्तुओं और सेवाओं के उदारीकरण पर काम करना है। जबकि सीपीटीपीपी, डब्ल्यूटीओ के प्रावधान के साथ कहीं अधिक महत्त्वाकांक्षी समझौता है।

चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में व्यापक क्षेत्रीय व्यापार ढांचे के तहत उसके साथ वैकल्पिक बाजार बढ़त को लेकर द्विपक्षीय समझौता किया जा सकता है। आरसीईपी से जुड़ी बातचीत के पूरा होने के बाद भारत की व्यापारिक कूटनीति को ऐसे समझौते की दिशा में काम करना चाहिए।

(लेखिका जेएनयू के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं।)

भूमि पट्टेदारी पर कानून बनने से काश्तकार को मिलेगी राहत

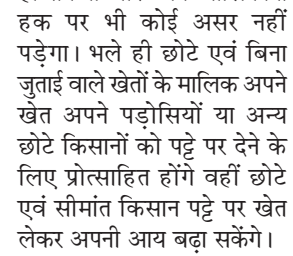

खेती-बाड़ी

सुरिंदर सूद

उत्तराधिकार कानूनों के चलते भू-स्वामित्व में लगातार बंटवारा होते जाने से अधिकांश जोतों का आकार इतना छोटा हो चुका है कि कृषि पर आश्रित एक औसत परिवार की जरूरतें उससे पूरी नहीं हो सकती हैं

जमीन को पट्टे पर देने को कानूनी रूप से वैध बनाना अब कृषि सुधार का महज संभावित लाभदायक पहलू ही नहीं रहा बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता बन चुका है। आजादी के बाद देश में भूमि स्वामित्व की सामंतवादी व्यवस्था ध्वस्त करने और जमीन का मालिकाना हक रखने वाले और नहीं रखने वालों के बीच असमानता कम करने के लिए कृषि सुधार किए गए थे। लेकिन अब हमें इस बात की जरूरत है कि खेती-योग्य जमीन के स्वामित्व का दायरा बढ़ाया जाए ताकि कृषि कार्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन सके। खेती नहीं करने वाले भूस्वामियों के बेकार पड़े खेतों का भी कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है।

उत्तराधिकार कानूनों के चलते भू-स्वामित्व में लगातार बंटवारा होते जाने से अधिकांश जोतों का आकार इतना छोटा हो चुका है कि कृषि पर आश्रित एक औसत परिवार की जरूरतें उससे पूरी नहीं हो सकती हैं। वर्ष 2010-11 की पिछली कृषि जनगणना ने दिखाया था कि करीब 85 फीसदी परिचालक भूमि स्वामित्व का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है और इसका औसत आकार तो महज 1.15 हेक्टेयर ही है। इससे भी बुरी बात यह है कि छोटे एवं सीमांत कृषि जोतों की संख्या सालाना 15 लाख से 20 लाख तक बढ़ रही है। अधिकांश मामलों में ये जोत भी अविभक्त नहीं हैं और दूर-दूर फैले छोटे आकार के खेतों में बंटे हुए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जमीन के इन छोटे टुकड़ों पर खेती करना आर्थिक रूप से और परिचालन के स्तर पर भी अव्यवहार्य हो चुका है। यह खेती की लाभप्रदता में कमी और कृषि क्षेत्र में चौतरफा व्याप्त आर्थिक तनाव के प्रमुख कारणों में से एक है।

खेतों के बंटवारे की प्रक्रिया तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि उत्तराधिकार कानूनों को संशोधित कर उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति विभाजन को नियंत्रित न किया जाए। लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है लिहाजा इसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए एक पारदर्शी एवं कानूनी रूप से वैध भूमि पट्टा बाजार का विकास सबसे व्यावहारिक तरीका लगता है। भूमि पट्टेदारी को वैध दर्जा देने से किसानों के बीच कृषि कार्यों के लिए जमीन का विनिमय संभव हो सकेगा और उनके मालिकाना हक पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। भले ही छोटे एवं बिना जुताई वाले खेतों के मालिक अपने खेत अपने पड़ोसियों या अन्य छोटे किसानों को पट्टे पर देने के लिए प्रोत्साहित होंगे वहीं छोटे एवं सीमांत किसान पट्टे पर खेत लेकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे।

गांवों में नहीं रहने वाले अधिकतर भूस्वामी पट्टेदारी को कानूनी मान्यता नहीं होने से अपना कब्जा खो देने के डर से अपने खेतों को पट्टे पर देने में संकोच करते हैं। यह कुछ राज्यों में लागू पुराने काश्तकारी कानूनों का परिणाम है जिनमें बंटाई या पट्टे पर खेती कर रहे काश्तकारों को जमीन का स्थायी अधिकार दे दिया गया था। इस वजह से करीब 2.5 करोड़ हेक्टेयर जुताई योग्य जमीन बंजर पड़ी हुई है। इसके अलावा अब काश्तकारी सौदे जुबानी या गुप्त होने लगे जिसमें किसी भी पक्ष को सुरक्षा नहीं होती है।

इसके अलावा बंटाईदारों समेत सभी अनौपचारिक पट्टाधारकों को दूसरी तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सस्ती दरों पर संस्थागत कर्ज न ले पाना, फसल बीमा, आपदा राहत और सरकार की तरफ से भूस्वामियों को दी जाने वाली तमाम अन्य सुविधाएं एवं सब्सिडी नहीं मिल पाना सबसे अहम हैं। पट्टे पर खेती करने वाले किसान कृषि ऋण माफी और कृषक आय समर्थन जैसी सरकारी योजनाओं के भी पात्र नहीं हो पाते हैं। इस तरह जमीन की उपज बढ़ाने और खेती की सक्षमता बढ़ाने के उपायों में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कोई कारक भी नहीं रह जाता है।

इन अधिकांश अड़चनों को जमीन पट्टेदारी को कानूनी रूप से वैध बनाकर दूर किया जा सकता है। नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग पहले ही आदर्श भूमि पट्टेदारी अधिनियम का प्रारूप बना चुका है जो राज्यों के लिए अपने अलग भूमि पट्टेदारी कानून बनाने की राह दिखा सके। इस मसौदा कानून को वर्ष 2016 में ही राज्यों के बीच वितरित कर दिया गया था लेकिन गिने-चुने राज्यों ने ही इसके अनुरूप अपने कानूनों में बदलाव करने की रुचि दिखाई है। प्रस्तावित कानून कृषि-भूमि के मालिक और काश्तकार किसान दोनों के ही वैध हितों को सुरक्षित करने की बात करता है। पट्टेदारी के सौदों को आपसी सहमति से अंतिम रूप देने की अनुमति देने से यह कानून पट्टे की अवधि खत्म होने पर भूमि का स्वामित्व उसके असली मालिक के पास लौट आएगा।

इसके अलावा यह मसौदा कानून पट्टाधारकों को दूसरे किसानों को मिलने वाले सभी लाभ पाने का हकदार बनाने के लिए भूस्वामियों के बराबर दर्जा देता है। गौर करने लायक एक और खासियत यह है कि जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में निवेश करने वाले काश्तकारों को पट्टे की मियाद खत्म होने पर उनके निवेश का अनुप्रयुक्त मूल्य वापस मिल जाएगा। इस प्रावधान से पट्टे वाली भूमि के समतलीकरण, मृदा स्वास्थ्य उन्नतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह नीति आयोग के आदर्श कानून की तर्ज पर अपने यहां भूमि पट्टेदारी कानून लाने में राज्यों की हिचकिचाहट कृषि समुदाय के हितों का ध्यान नहीं रख रही है।

कानाफूसी

रेड्डी का तोहफा

आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने प्रशांत किशोर और उनकी संस्था इंडियन पॉलिटिकल ऐक्शन कमेटी (आईपैक) की तारीफों के पुल बांध रखे हैं। जानकारी के मुताबिक आईपैक के जिन सदस्यों ने रेड्डी के चुनाव प्रचार अभियान पर काम किया है उन्हें जगनमोहन की ओर से एक महीने का वेतन अलग से दिया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश में आईपैक को कुछ और आकर्षक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर भी मिल सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नए सत्ता प्रतिष्ठान के साथ आईपैक किस प्रकार काम करेगी। रेड्डी ने यह ख्वाहिश प्रकट की है कि आईपैक की टीम नई सरकार के कामकाज में सहायता करना जारी रखे।

बधाई का प्रत्युत्तर

लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित ट्विटर संदेशों की बाढ़ सी आ गई। ऐसे में कार्यालय ने यह तय किया कि जितने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम टैग होगा, उन सभी को जवाब दिया जाएगा। इसके लिए एक मीडिया सेल गठित की गई और तमाम संदेशों के जवाब तैयार किए गए और मंजूरी के बाद उन्हें प्रेषित किया गया। मीडिया सेल ने प्रत्येक बधाई संदेश का उत्तर देने के लिए अपने स्तर पर सात मिनट की अधिकतम समय सीमा तय की थी। इस अवधि में उन संदेशों का अनुवाद करना भी शामिल था जो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भेजे जा रहे थे। इसके लिए टीम के सदस्यों ने पालियों में काम किया।

आपका पक्ष

आग से सुरक्षा के लिए जागरूकता

पिछले दिनों सूरत के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। आग लगने की वजह से कुछ बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कई लोग आग लगने के बाद घबरा जाते हैं जिससे अफरातफरी का माहौल बन जाता है। इससे घटनास्थल पर स्थिति और विकट हो जाती है। कई वर्ष पहले एक पांच सितारा होटल में आग लगी थी। उस वक्त विदेशी नागरिकों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गीले तौलियों और गीले रूमाल का इस्तेमाल कर अपनी जान बचाई थी। कमरे में धुआं नहीं पहुंच पाए इसके लिए उन्होंने गीले तौलियों को दरवाजे में लगा दिया और गीले रूमाल से चेहरा ढक लिया। आज भी जब कहीं आग लगती है तब लोग भगदड़ मचा देते हैं। अग्निशमन यंत्र टॉकीज, मॉल, अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थानों में लगे रहते हैं लेकिन घटना के समय उसके उपयोग करने का कौशल आम लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए आग पर काबू पाने में देर लग जाती है जिससे नुकसान बढ़ जाता है। 14 अप्रैल को फायर सर्विस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मुंबई में मॉक ड्रिल, प्रदर्शनी, व्याख्यान के जरिये लोगों में आग से सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम देश भर में चलना चाहिए। विदेशियों से सीख लेकर

गुजरात के सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी

इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर आग सुरक्षा पर अभियान चलाना चाहिए। फायर ब्रिगेड सेवा ग्रामीण इलाकों में भी होना चाहिए ताकि वह जान माल की हानि कम हो। गृहिणियों को सिलिंडर के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यशाला चलानी चाहिए। इमारत की समिति को हर छह महीने में अग्निशमन अभ्यास कराना चाहिए। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने घरों में स्मोक (धुआं) डिटेक्टर लगाएं।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

जलवायु परिवर्तन सरकार की चुनौती

भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल हुआ है। इससे नई सरकार को कड़े फैसले लेने में गठबंधन दलों तथा विपक्ष की रोक टोक असर नहीं करेगी। ऐसे में सरकार को जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, घटता जलस्तर, बढ़ती ऊर्जा खपत पर ध्यान देना होगा। इस समस्या से जनता का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और आगे भविष्य के लिए कई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। इसके लिए सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी कड़े फैसले लेने का समय आ गया है। अगर सरकार लकड़ी से होने वाले सभी कारोबार करने, घरेलू इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे तो पेड़ पौधे बचेंगे। इस तरह उजड़ते जंगलों, पेड़ पौधों को बचाया जा सकता है। इसके प्रतिबंध से सरकार के राजस्व घाटा पर असर पड़ेगा। कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे लेकिन जलवायु से होने वाले नुकसान से कम ही होगा। जब लकड़ी का बाजार खत्म होगा तो इस्पात, प्लास्टिक, फाइबर, एल्युमीनियम का बाजार बढ़ेगा। इससे बेरोजगारों को वापस रोजगार मिल सकेगा। आज बाजार में लकड़ी की कीमत लोहे की कीमत से अधिक है। लकड़ी चूल्हे, होटलों में चलने वाली भट्ठी बंद होगी। इससे एलपीजी गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा और लोग उज्ज्वला योजना सफल हो सकेगी।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।